

and English versions) of the following Ministries/Departments for 1974-75:—

- (1) Ministry of Agriculture,
- (2) Ministry of Home Affairs,
- (3) Ministry of Petroleum and Chemicals,
- (4) Ministry of Planning,
- (5) Department of Atomic Energy, and
- (6) Department of Electronics.

[Placed in Library. See No. LT-6652/74].

PAPERS UNDER TARIFF COMMISSION ACT

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following papers under sub-section (2) of section 16 of the Tariff Commission Act, 1951:—

- (i) Report (1973) of the Tariff Commission on the Review of the Automobile Ancillary Industry.
- (ii) Government Resolution No. 11(1)-Tar./73, dated the 29th March, 1974 (Hindi and English versions) notifying Government's decision on the above Report.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons why the documents mentioned at (1) above could not be laid on the Table within the period prescribed in sub-section (2) of section 16 of the said Act.

(3) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying simultaneously

the Hindi version of the Report mentioned at (1) (i) above.

[Placed in Library. See No. LT-6653/74].

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS  
THIRTY-NINTH REPORT

SHRI G. G. SWELL (Autonomous Districts): I beg to present the Thirty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

HUNDRED AND THIRD REPORT

SHRI JYOTIRMOY BOSU: (Diamond Harbour): I beg to present the Hundred and third Report of the Public Accounts Committee on action taken by Government on the recommendations contained in their Fiftieth Report on Chapter V of Audit Report (Civil) 1970 on Revenue Receipts and Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1969-70 Central Government (Civil)—Revenue Receipts relating to Other Direct Taxes.

13.04 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

- (1) IRREGULAR ALLOTMENT OF LAND IN DELHI

श्री छतल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर): मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक सार्वजनिक महत्व के मामले को उद्घाटन चाहता हूँ। मैं दिल्ली में एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम है न्यू कैंडल को-ऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी। दिल्ली के सैफ्टि-नैट वर्कर इसकी मनेजिंग-कमेटी के सदस्य हैं। मनेजिंग कमेटी सैफ्टि-नैट वर्कर

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

के द्वारा नामजद की जाती है। 25 जनवरी को लगभग सोसाइटी के सौ पुराने मੈम्बरो को मयुरा रोड पर जो जमीन एलाट की गई थी उस एलाटमेंट को रद्द कर दिया गया यह बहाना बनाकर कि उन मੈम्बरो ने अपना पुराना बकाया नहीं दिया है। 26 जनवरी को लैफ्टिनेंट गवर्नर से सौ नए मैम्बर बनाने की इजाजत मांगी गई। 26 जनवरी छुट्टी का दिन था लेकिन लैफ्टिनेंट गवर्नर ने सोसाइटी को साठ नए मैम्बर बनाने की अनुमति दे दी। दिल्ली डिबेलेपमेंट आथॉरिटी के नियमों के अनुसार अगस्त 1967 के बाद ऐसी सोसाइटियों के नए मैम्बर नहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन लैफ्टिनेंट गवर्नर जो डी.डी.ए. के चेयरमैन है, उन्होंने इस मामले में नियमों को टाक पर रख दिया और नए मैम्बर बनाने की इजाजत दे दी। उन्होंने इस बात का भी ध्यान नहीं किया कि 103 मैम्बर बैटिम लिस्ट पर हैं और पहले उन्हें मैम्बर बनने का मौका दिया जाना चाहिए। नए मैम्बर बनाने से पहले एक सूचना मार्ब-जनिक् रूप में दी जानी चाहिए थी कि कुछ मैम्बरो को हटाया जा रहा है कुछ को नए रूप में बनाया जा रहा है लेकिन इस प्रक्रिया की भी अपेक्षा कर दी गई। 28 फरवरी को ये नए मैम्बर बन गए और 5 मार्च को इन नए मैम्बरो को 500 वर्ग गज जमीन जिस की कीमत दो लाख के करीब होगी पुरानी दरों पर जब सोसाइटी बनी थी, एलाट कर दी गेरे पास उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें यह जमीन दी गई है, पाच पाच सौ वर्ग गज जमीन दी गई है। इस में भारत सरकार के होम मंत्रि श्री एम मुन्बर्जी हैं, ज्यायट सैन्ट्री फारेन ट्रेड एंड रिलेशन्स श्री एल एन सकलानी हैं, एडीशनल सैन्ट्री होम मीनिस्ट्री श्री अशोक सेन हैं - श्री बी० कें० नेहरू हैं, म्यूनिसिपल कारपोरेशन

के कमिश्नर श्री बी धार टमटा हैं, श्री बोबिन्द नारायण हैं, श्री० बी० बी० लाल धाई० सी एस हैं, श्री बी० सा० त्रिवेदी, एक्सटर्नल एफयर्स सैन्ट्री हैं, श्री बी० मुन्बर्जी धाई० सी० एस० हैं। भारत सरकार के बड़े बड़े अफसर इस भूमिदान से लाभान्वित हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ और भी नाम हैं लिस्ट में जो मार्बजनिक् चर्चा का विषय बन चुके हैं। उन में एक श्री एम० एस० पाठक हैं श्रीमती मोहन जी० गिरि हैं, श्री नरेश कुमार गुजरान भी हैं। इस समय ऐसी कोई बात मैं नहीं कहना चाहता जिम्मे, गुप्रीम र्ट के न्यायदान में कोई वादा हुआ। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले मैंने गृह मंत्री को, निर्माण मंत्री को और कृषि मंत्री का जो महकारिता ममितियों में सम्बन्धित हैं 28 मार्च का इस आशय के पत्र लिखे थे। 29 तारीख का मैंने आपका ध्यान खींचने के लिए भी यहा सूचना दी थी। उसके बाद इस मामले की मुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और कुछ याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में विचार के लिए स्वीकृत की। उन याचिकाओं को स्वीकृत करते समय चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा है वह बड़ा चिन्ताजनक है।

"The undue haste in rushing through the allotment procedure and the list of new allottees speak for themselves."

चीफ जस्टिस के साथ एक और भी जगह के जिन्होंने ये याचिकाएँ कृनी और उन्होंने कहा .

"He remarked that what has happened was very unfortunate and the declaration of the defaulters cannot be dis-associated from the allotment of the plots to 60 persons. He further said that he would not hesitate to express his right of indignation, whosoever the persons might be."

मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री महोदय इस मामले के बारे में तथ्यों को सदन के सामने रखें। अदालत में मामला पेन है, इसलिए इस सदन को इस काले कारनामे को प्रकाश में लाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर भारत सरकार के बड़े अफसर भारत की राजधानी में केन्द्रीय सरकार की नाक के नीचे सस्ती दर पर जनता की जमीन हथियाने पर तुले हुए हैं तो उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री महोदय तथ्यों के बारे में सदन में बयान दें और बताएं कि क्या यह सच है कि नैपिंट गवर्नर ने अपन पद का दुरुपयोग किया है, क्या यह भी सच है कि डी० डी० ए० के नियमों को नाक पर रख कर नए मैन्युअर बनाए गए, क्या यह भी सच है कि नए मैन्युअर बनाने के बारे में कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई, क्या यह भी सच है कि बोटिंग लिस्ट में जो 103 नाम थे उन्हें भोका नहीं दिया गया मैन्युअर बनने का और क्या यह भी सच है कि नए मैन्युअरों को जो भारत सरकार के बड़े अफसर हैं और राजनीतिक नेताओं के सम्बन्धी हैं सस्ती दरों पर जमीन दे कर, पुरानी दरों

पर जमीन दे कर जो पुराने मैन्युअर थे उन्हें इससे वंचित कर दिया गया है ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, the allegations are very serious, specially in view of the fact that there was a CBI enquiry against the same man, the Lt. Governor of Delhi, Shri Balshwar Prasad. In this case, he had gone to the extent of giving a plot of land to the wife of his nephew, who does not live in Delhi at all and he has financed it, I understand. I want to put some specific questions to the Home Minister: Is it a fact that the Lt. Governor has already got a plot of land in his wife's name Shrimati Uma Prasad, in Jagriti House Building Society? Is it a fact that out of the 60 allocations, 31 were nominated by the Lt. Governor himself and there are many VIPs in the list? Is it also a fact that out of these 60, 14 or 15 are relations of the Managing Committee, Mr. Jagjit Singh, who was the Chairman of the public sector drug undertaking in Hardwar? Is it a fact that 15 businessmen who have been given land—one lady has said it—had to pay Rs. 50,000 per head to the Special Assistant of the Lt. Governor, Mr. Jain, who had also acquired a plot of land in his wife's name? Is it also a fact that permission for the build-activities was given by the Lt. Governor without consulting the DDA Engineering Department II and the Town Planning Department? Is it also a fact that no authenticated plans were attached when sanction was given? Is it a fact that the Municipal Commissioner, Mr. Tamta, was influenced by giving a plot in his name? Is it a fact that the service of the area was taken over by the Corporation under the orders of the Lt. Governor, while the rules prohibit it till such time as 50 per cent of the houses have been constructed and not a single house has been constructed? I want answers to

[Shri Jyotirmoy Bosu]  
all these questions and also a categorical assurance that the Home Minister will immediately suspend the Lt. Governor and take action against those VIPs who have made us of their official influence to get plots.

**SHRI SHYAMNANDAN MISHRA** (Begusarai): Have the Government considered the observations made by the hon. Judges of the Supreme Court and have they also instituted an inquiry to go into the irregularities, as suggested in the observations of the two judges of the Supreme Court? If they had not done that, do Government propose to institute an inquiry to go into the matter? So far as I see it, the matter does not relate only to the Lt. Governor. The Home Secretary, who happens to be the boss of the Lt. Governor is also involved in this. All the wrath should not be directed only against the Lt. Governor but against all those bosses in the Secretariat here who seem to be commanding the whole thing.

श्री अबु लिमबे (बांका) : अध्यक्ष महोदय इस बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस केस में सरकार के द्वारा जो हलफनामे दाखिल किये गये हैं, वे तो पब्लिक डिकुमेंट्स हैं—वे सब-जुडिस नहीं हैं— कम से कम उन्हें तो उपलब्ध कराया जाये।

(ii) REPORTED ATTACK ON SHRI NATHURAM MISHRA'S HOUSE AT JODHPUR.

श्री क्लिप्पाच सिंह (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदय मैं सदन का ध्यान एक ऐसी समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जिससे सभी माननीय सदस्यों का कलमर्न है। हमने आज अखबार में देखा है कि अंसूक्तव्य श्री नाथू राम मिश्रा के घर पर 6 तारीख की रात को 2 बजे

कुछ फ़ासिस्ट एलिमेंट्स ने आक्रमण किया। मैं विवेचन करना चाहता हूँ कि यह कोई स्टेट सबजेक्ट नहीं है। इस मामले का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार और इस सदन से है। इस सदन के माननीय सदस्यों के घर यहां से दो सौ तीन सौ मील की दूरी पर हैं, लेकिन यहां पर हमारे परिवारों और प्रापर्टी की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ठाई तीन सौ गुंडों ने माननीय सदस्य के घर पर आक्रमण किया और उन की घरों की साल की बूढ़ मातृ को चोटे पहुंचाई। ये वही फ़ासिस्ट एलिमेंट हैं जो कहीं शिव सेना के नाम से कहीं धानन्द मार्ग के नाम से और कहीं दूसरे नामों से इस प्रकार की घटनाएं करवा रहे हैं।

इस बारे में अखबारों में गलत प्रचार किया गया है। किसी कम्युनिटी के नाम से इस मामले को तूल देने की कोशिश की गई है। यह किसी कम्युनिटी या पार्टि का सवाल नहीं है। राजस्थान में जाट और राजपूत बड़े मेल और प्रेम से रहते हैं। इस मामले को जाट और राजपूत का कलर देना सलत है। यह आक्रमण फ़ासिस्ट एलिमेंट्स ने किया है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार का इन्टेलिजेंस फ़ेल रहा है। हमारी एक बार्डर स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। वहां इस प्रकार के घर्षण हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जाय।

**DR. H. P. SHARMA** (Alwar): This is a question which involves the fundamental rights of the Members of this House. If we have always to keep one eye at the back to see what is happening to our families, it will be very difficult. Sir, this is a very serious matter.

**MR. SPEAKER:** He has already mentioned it. Further, I am on another subject.